राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

सत्यमेव जयते

अग्रहायण 10, सोमवार, शाके 1947- दिसम्बर 01, 2025
Agrahayana 10, Monday, Saka 1947- December 01, 2025

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

FINANCE (FINANCIAL RULES) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, December 01, 2025

G.S.R.107 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 32 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that it is necessary for the socio-economic policies of the Central Government and the State Government, utilisation of resources and expertise of the departments and enterprises of the Central Government and the State Government and saving the time, money and efforts of the procuring entities required in inviting and processing of bids individually, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.1(8)/FD/GF&AR/2011 dated 04 September, 2013, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In table of the said notification, the existing serial number 51 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

51.	Original works and repairs relating to buildings and other works	(a) Following Works Department of the State Government,- (i) Public Works Department (ii) Public Health Engineering Department (iii) Water Resources Department (iv) Forest Department (v) Command Area Development Department	The overheads to be charged by a Works Department of the State Government shall be decided by the Finance Department.
		(b) Rajasthan State Road Development and Construction Corporation Ltd., Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage	The overheads to be charged by an executive agency shall be as under:- Original works and repairs,- (i) upto Rs. - 9%

		and Infrastructure Corporation Ltd., Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd., Real Estate Development & construction Corporation of Rajasthan Ltd. or any Board or Public Sector Enterprise of the Government of Rajasthan, which are engaged in execution of works.	100 crore (ii) more than Rs. 100 crore but upto Rs. 300 crore - Rs. 9 crore + 7% of more than Rs. 100 crore (iii) more than Rs. 300 crore - Rs. 23 crore +5% of more than Rs. 300 crore
		(c) Any Board or Public Sector Enterprise of the Central Government, which are engaged in execution of works.	The overheads to be charged by the executive agency shall be decided by the Finance Department.

"

[F.2(1)/FD/SPFC/2025]
By order of the Governor,

Mahendra Mohan,
Joint Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

सत्यमेव जयते

पौष 15, सोमवार, *शाके* 1947- जनवरी 05, 2026
Pausa 15, Monday, Saka 1947- January 05, 2026

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 02, 2026

जी.एस.आर.107 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2025 दिनांक 01.12.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र मोहन,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 01, 2025

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में विद्यमान क्रम संख्यांक 51 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा,अर्थात्:-

"

51.	भवनों से संबंधित मूल संकर्म और मरम्मत और अन्य संकर्म	(क) राज्य सरकार के निम्नलिखित संकर्म विभाग,- (i) सार्वजनिक निर्माण विभाग (ii) लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (iii)जल संसाधन विभाग (iv)वन विभाग (v) कमांड एरिया विकास विभाग	राज्य सरकार के संकर्म विभाग द्वारा प्रभारित किये जाने वाले उपरिव्यय वित्त विभाग द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।
		(ख) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान नगरीय पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत निगम लिमिटेड, राजस्थान पुलिस आवासन और निर्माण निगम लिमिटेड, रियल एस्टेट डवलपमेंट एण्ड कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड या राजस्थान सरकार का कोई बोर्ड या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो संकर्मों के निष्पादन में लगा हुआ है।	कार्यकारी अभिकरण द्वारा प्रभारित किये जाने वाले उपरिव्यय निम्नानुसार होंगे:- मूल संकर्म और मरम्मत,- (i) 100 करोड़ रुपये तक - 9 प्रतिशत (ii) 100 करोड़ रुपये से अधिक किंतु 300 करोड़ रुपये तक - 9 करोड़ रुपये + 100 करोड़ रुपये से अधिक का 7 प्रतिशत (iii) 300 करोड़ रुपये से अधिक - 23 करोड़ रुपये + 300 करोड़ रुपये से अधिक का 5 प्रतिशत
		(ग) केन्द्रीय सरकार का कोई बोर्ड या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो संकर्मों के निष्पादन में लगा हुआ है।	कार्यकारी अभिकरण द्वारा प्रभारित किये जाने वाले उपरिव्यय वित्त विभाग द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।

"

[एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2025]

राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र मोहन,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.